रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112020-223058 CG-DL-E-12112020-223058

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] No. 482] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

# स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) अधिसुचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-18/ए-1.12/एन-1.—खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित करती है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा <u>regulation@fssai.gov.in</u> पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

5475 GI/2020 (1)

# प्रारूप विनियम

- 1. (1) इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) संशोधन विनियम, 2020 कहा जा सकता है।
  - (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त) होंगे तथा खाद्य कारोबार चालक को इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से न्यूनतम 180 दिनों के पश्चात 1 जनवरी या 1 जुलाई से, विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।
- 2. (क) विनियम 7 के उप-विनियम (4) की जगह निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
  - "(4) लौह से पौष्टिकीकृत प्रत्येक खाद्य पैकेज पर "थैलसेमिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति डॉक्टरी निगरानी में ले सकते हैं और सिकल सेल अनीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को लौह पौष्टिकीकृत खाद्य उत्पादों का सेवन न करने की सलाह दी जाती है" स्टेटमेंट दी जाए।
- 3. अनुसूची-1 के,-
- (क) खंड 1 की सारणी के कॉलम (1) के नीचे क्रम सं. 1 पर "आयोडीन अंश" से संबंधित कॉलम (2) से (4) तक की प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी:-

क्रम सं.	संघटक	पोषक तत्व का स्तर	पोषक तत्वों का स्रोत
<b>"</b> 1.	आयोडीन अंश	15-30 भाग प्रति दस लाख (शुष्क भार आधार पर)	पोटाशियम आयोडेट";

(ख) 'सुदृढ़ीकृत दूध' से संबंधित खंड 3 की मौजूदा सारणी के बाद निम्नलिखित सामग्री जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

# **''3क. पौष्टिकीकृत दुग्ध पाउडर:**

- (i) दुग्ध पाउडर, जब पौष्टिकीकृत िकया जाए, को विटामिन ए और डी के ऐसे स्तरो से पौष्टिकीकृत िकया जाए िक उत्पाद के लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार संघटित िकए जाने पर अंतिम रूप से पुन: संघटित पौष्टिकीकृत दूध 'पौष्टिकीकृत दूध' से संबंधित अनुसूची-1 के खंड 3 में विहित सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्तरों का अनुपालन करे।
- (ii) इसका प्रयोग 'पुन: संघटित पौष्टिकीकृत दूध' तैयार करने के लिए केवल सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों में किया जाएगा।
- (iii) खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अंतर्गत उल्लिखित लेबलिंग उपबंधों के अतिरिक्त पौष्टिकीकृत दुग्ध पाडर के लेबल पर निम्नलिखित स्टेटमेंटभी हो:
- (क) सीधे सेवन के लिए अनुशंसित नहीं;
- (ख) केवल ...... (सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम का नाम) के तहत उपयोग के लिए;
- (ग) केवल लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पूरी सामग्री के पुन: संघटन के बाद सेवन के लिए;
- (घ) खोले गए पैक का उसी दिन प्रयोग करें".
- (ग) 'पौष्टिकीकृत कच्चा चावल' से संबंधित खंड 6 की जगह निम्नलिखित सामग्री प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-''6. पौष्टिकीकृत चावल''।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन.-III/4/असा./343/2020-21]

टिप्पणी.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 11/03/विनियम/ अधिसूचना/2014, दिनांक 2 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### (Food Safety and Standards Authority of India)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th November, 2020

**F. No. Stds/SP-18/A-1.12/N-1.**—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make, with the previous approval of the Central Government in exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92, for the information of persons likely to be affected thereby and notice us hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002, or may be sent at regulation@fssai.gov.in:

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period specified above, will be considered by the Food Authority.

## **Draft Regulations**

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Amendment Regulations, 2020.
  - (2) They shall come into force with effective date for implementation to be either 1st January or 1st July subject to a minimum of 180 days from the date of their final publication in the official Gazette.
- 2. (A) for sub-regulations (4) of regulations 7, the following shall be substituted, namely:
  - "(4) Every package of food, fortified with Iron shall carry a statement "People with Thalassemia may take under medical supervision and persons with Sickle Cell Anemia are advised not to consume iron fortified food products.";
- 3. in Schedule-I, -
  - (A) in clause 1, in table, under column (1), at serial number 1, for the entries under column (2) to (4), relating to "Iodine Content", the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Component	Level of nutrients	Source of Nutrients
"1.	Iodine content	15-30 part per million (on dry weight basis.	Potassium Iodate";

(B) in Clause 3, related to the 'Fortified Milk', after the exiting table, the following shall be inserted, namely:-

# "3A. Fortified Milk Powder:

- (i) Milk powder, when fortified, shall be fortified with such levels of Vitamin A and D, so that the final reconstituted fortified milk shall comply with the levels of micronutrients specified in Clause 3 of Schedule-I related to 'Fortified Milk', when constituted as per the directions mentioned on the product label.
- (ii) It shall only be used in the Government Funded Programs for the purpose of preparation of 'Reconstituted Fortified Milk';
- (iii) In addition to the labeling provisions mentioned under Food Safety and Standards Regulations, the label of Fortified Milk Powder shall also carry the following statement:
  - (a) NOT RECOMMENDED FOR DIRECT CONSUMPTION;
  - (b) ONLY FOR USE UNDER \_\_\_\_\_ (Name of the Government Funded Programme);

- (c) TO BE CONSUMED ONLY AFTER RECONSTITUTION OF THE ENTIRE CONTENT AS PER THE DIRECTIONS ON THE LABEL.
- (d) PACK ONCE OPENED, TO BE CONSUMED ON THE SAME DAY.";
- (C) for clause 6, related to 'Fortified Raw Rice', the following shall be substituted, namely:"6. Fortified Rice".

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./343/2020-21]

**Note.** - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number File No. 11/03/Reg/Fortification/2014, dated the 2<sup>st</sup> August, 2018.